

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या - 963/2012/अजमेर.
2. अपील संख्या - 964/2012/अजमेर.
3. अपील संख्या - 965/2012/अजमेर.
4. अपील संख्या - 966/2012/अजमेर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, अजमेर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स किसान फूड प्रोडक्ट,
खोड़ा गणेश रोड़, ढाणी पुरोहितान, किशनगढ़ (अजमेर).

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

कोई नहीं

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 19/6/2014

निर्णय

ये चारों अपीलों वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, अजमेर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील संख्या क्रमशः 213, 214, 212 व 211/10-11/वैट/किशनगढ़ में पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 9.12.2011 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत पृथक-पृथक प्रस्तुत की गयी हैं।

इन चारों अपीलों में विवादित बिन्दु एवं पक्षकार समान होने से इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जाकर निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि वर्ष 2006-07 के दौरान कच्चे माल के रूप में गेहूं क्रय की जाकर इससे कर योग्य आटा, मैदा, सूजी व करमुक्त ब्रान (Bran) का निर्माण किया जाकर विक्रय किया गया है। प्रत्यर्थी के व्यवसाय स्थल का दिनांक 1.12.2006 को सर्वेक्षण किया जाने पर पाया गया कि व्यवहारी द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम के दावों में विक्रय की गई कर मुक्त ब्रान पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया गया है, जबकि वैट अधिनियम की धारा 18(1)(ई) के अनुसार यदि उत्पादित माल कर योग्य से भिन्न कर मुक्त विक्रय किया जाता है

लगातार.....2

तो इस माल के विनिर्माण में प्रयुक्त किये गये कच्चे माल पर चुकाये गये कर का इनपुट टैक्स क्रेडिट देय नहीं होगा तथा इस अनुपात में इनपुट टैक्स क्लेम रिवर्स योग्य है। अतः व्यवहारी को इस सम्बन्ध में कारण बताओ नोटिस जारी किये जाकर व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए जवाब प्राप्त किये गये। तत्पश्चात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी के जवाब के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों पर विचार करते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2006-07 के लिये वेट अधिनियम की धारा 25, 55, 58 व 61 के तहत पारित किये गये पृथक-पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 17.6.2008 पारित करते हुए प्रत्यर्थी द्वारा क्लेम किये गये समग्र आई.टी.सी. में से करमुक्त माल की बिक्री के अनुपात में आई.टी.सी. क्लेम कम करते हुए रिवर्स टैक्स का आरोपण किया गया, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

अपील संख्या	अपीलीय आदेश संख्या	कर निर्धारण अवधि	रिवर्स टैक्स
1	2	3	4
✓ 963/2012	213/वेट/10-11/किशनगढ़	01.04.06 से 30.06.2006	26,850/-
964/2012	214/वेट/10-11/किशनगढ़	01.07.06 से 30.09.2006	26,170/-
965/2012	212/वेट/10-11/किशनगढ़	01.10.06 से 31.12.2006	31,500/-
966/2012	211/वेट/10-11/किशनगढ़	01.01.07 से 31.03.2007	56,563/-

प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेशों को संशोधित किये जाने हेतु वेट अधिनियम की धारा 33 के तहत संशोधन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये गये, जो कर निर्धारण अधिकारी के पृथक-पृथक पारित किये गये आदेश दिनांक 13.10.2010 से अस्वीकार किये गये। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों में अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलाधीन आदेशों से व्यवहारी की अपीलें स्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित रिवर्स टैक्स को अपास्त किया गया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर राजस्व द्वारा ये द्वितीय अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

बावजूद सूचना प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, किन्तु पत्रावलियों पर प्रत्यर्थी व्यवहारी की लिखित बहस उपलब्ध है। अतः अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गयी एवं प्रत्यर्थी व्यवहारी की लिखित बहस का अवलोकन किया गया।

बहस के दौरान विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि प्रस्तुत प्रकरणों के समान ही अन्य प्रकरण (माननीय कर बोर्ड के मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर की अपील संख्या 590-591/2008/श्रीगंगानगर में पारित निर्णय दिनांक 13.3.2009) के विरुद्ध विभाग द्वारा प्रस्तुत सेल्स टैक्स निगरानी याचिका आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए माननीय

लगातार.....3

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 के अभिनिर्णय में वेट अधिनियम की धारा 18(1) के विशिष्ट प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत प्रकरण में सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कच्चे माल गेहूं से निर्मित कर मुक्त माल चौकर की बिक्री की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुज्ञेय नहीं होने से रिवर्स टैक्स आरोपण को विधिसम्मत माना गया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से आलौच्य अवधियों में गेहूं की खरीद पर क्लेम किये गये समग्र इनपुट टैक्स क्रेडिट में से कर मुक्त माल ब्रान की बिक्री के अनुपात में आई.टी.सी. की देयता नहीं मानते हुए इसका रिवर्स टैक्स आरोपित किये जाने में कोई विधिक भूल नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा क्लेम किये गये आई.टी.सी. क्लेम को विधिसम्मत मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित रिवर्स टैक्स को अपास्त किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा राजस्व की अपीलें स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि व्यवहारी द्वारा राज्य के भीतर गेहूं का क्रय किया जाकर इसका आटा, मैदान व सूजी निर्माण में उपयोग किया गया है तथा इस निर्माण प्रक्रिया में ब्रान एक आवश्यक बाई-प्रोडक्ट निकलता है। व्यवहारी द्वारा ब्रान विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल के मूल्य पर समग्र आई.टी.सी. विधिनुसार क्लेम किया गया था, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त कच्चे माल से निर्मित कर मुक्त की बिक्री के अनुपात में आई.टी.सी. की देयता नहीं मानते हुए रिवर्स टैक्स आरोपित किये जाने में विधिक त्रुटि की गई थी। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित रिवर्स टैक्स को उचित रूप से अपास्त किया गया है। उक्त कथन के साथ प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में राजस्व की अपीलें अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया, प्रत्यर्थी व्यवहारी की लिखित बहस तथा पत्रावलियों पर उपलब्ध रेकार्ड एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया।



लगातार.....4

इन प्रकरणों में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के पंजीकृत व्यवहारियों से खरीद किये गये गेहूँ का उपयोग आटा, मैदा, सूजी व ब्रान के विनिर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में किया गया है, जिसमें आटा, मैदा व सूजी कर योग्य उत्पाद हैं एवं ब्रान कर मुक्त है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलौच्य अवधि के दौरान प्रत्यर्थी की ओर से कच्चे माल के रूप में खरीदे गये उक्त गेहूँ के मूल्य पर क्लेम किये गये समग्र इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे पर विचारण के पश्चात वेट अधिनियम की धारा 18(1) के प्रावधानों के आलोक में विक्रय किये गये कर योग्य माल के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल के मूल्य पर इनपुट टैक्स क्रेडिट देय होने एवं कर मुक्त बिक्रीत माल के अनुपात में ब्रान पर इनपुट टैक्स क्रेडिट देय नहीं होना मानते हुए इस पर रिवर्स टैक्स आरोपित किये जाने के पृथक-पृथक आदेश पारित किये गये हैं।

इन प्रकरणों के सम्बन्ध में विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा उद्धरित किये गये माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 के अवलोकन से स्पष्ट है कि माननीय कर बोर्ड के मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर की अपील संख्या 590-591/2008/श्रीगंगानगर में पारित किये गये निर्णय दिनांक 13.3.2009 के विरुद्ध विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई एस.बी.सिविल सेल्स टैक्स रिवीजन पिटिशन संख्या 193-194/2009 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 8.12.2011 (32 टैक्स अपडेट 03) द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर पारित अभिनिर्णय के पैरा संख्या 20 व 21 में प्रतिपादित सिद्धान्त निम्न प्रकार है :-

"20. In the considered opinion of this Court, therefore, in view of specific provisions contained in Section 18 of the VAT Act of 2003, the ratio of the judgments relied upon by the learned counsel for the respondent-assessee would in fact support the case of the Revenue, and as a necessary corollary, it deserves to be held following these aforesaid judgments, that input tax credit in the present case, was rightly reduced and was allowed only proportionately to the extent of manufacturing and sale of taxable goods by the assessee in the present case, namely, "Aata", "Maida" and "Suji", manufactured out of raw material (wheat) and such input tax credit could not be allowed to the extent of sale of VAT exempted goods, namely, wheat bran (Chaff/Chokar), which has been assessed by the Assessing Authority to the extent of 25% of the input tax credit and reverse tax has been imposed on the respondent-assessee.




लगातार.....5

21. Therefore, as far as impugned order of learned Tax Board dated 13.03.2009 to the extent of setting aside the imposition of reverse tax disallowing the proportionate input tax credit is concerned, the same cannot be sustained and deserves to be quashed by this Court, and to that extent the revision petitions filed by the petitioner-Revenue deserve to be allowed.

अतएव माननीय उच्च न्यायालय के उक्त अभिनिर्णय में व्यवहारी को करमुक्त उत्पाद के अनुपात में इनपुट टैक्स क्रेडिट अस्वीकार करते हुए रिवर्स टैक्स आरोपण की सीमा तक कर बोर्ड का विवादित आदेश दिनांक 13.3.2009 अपास्त किया गया है।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में राजस्व द्वारा अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपीलें स्वीकार की जाती हैं तथा अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाते हैं

निर्णय सुनाया गया।


(जे. आर. लोहिया)
सदस्य
19/6/14